अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.28 (324) पराविं/प्र.–2 /चुं.अ.क./सफाई कर्म./पार्ट–II/2004//1678 जयपुर, दिनांकः– 10/12/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बैसिस पर करवाये जाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय परिपत्र क्रमाक 3408 दिनांक 12.11.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बैसिस पर संलग्न शर्तों के अनुसार लिये जाने बाबत जारी विस्तृत निर्देश के अतिक्रमण में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर चयन कर पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर कार्य कराया जावेः–

1.) 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर (अधिकतम 60 वर्ष तक)

2.) भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)

3.) राज्य/केन्द्रिय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों के सेवा निवृत स्थानीय व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)

4.) रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेन्सी से (अधिकतम 65 वर्ष तक)

उक्तानुसार संबंधित पंचायत समिति सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करवाये जाने के लिए चयन कर नियमानुसार पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) निष्पादित करे। मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर्स्टेडिंग (MOU) का प्रारूप विभाग द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। इन केन्द्रो पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्यक्रम निम्नानुसार सम्पादित किया जावे :–

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	गतिविधि पूर्ण करने की दिनांक	उत्तरदायी संस्था	विशेष विवरण
1.	पंचायत समिति स्तर पर प्रस्ताव (offer) प्राप्त करने हेतु सभी पंचायत समितियो के लिए जिला स्तर से एक विज्ञप्ति जारी करना।	विज्ञप्ति 12.12.12 तक जारी कर पंचायत समिति स्तर पर दि0 21.12.12 तक प्रस्ताव (offer) प्राप्त करना।	जिला परिषद	प्रस्ताव (offer) क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत समितिवार संबंधित पंचायत समिति स्तर पर दि0 21.12.12 तक प्राप्त किये जावे।
2.	पंचायत समिति में प्राप्त प्रस्तावों (offers) की छटनी कर निर्धारित प्राथमिकता	24.12.12	पंचायत समिति	पात्र प्रस्ताव (offer) की सूची में से सेवा केन्द्र के निकटतम वास करने वाले

	अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए पात्र आवेदनों की सूची में से पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर चयनित के साथ MOU सम्पादित कराकर जॉब आउट सोर्सिंग पर सेवाएं लेने हेतु नाम/सूची संबंधित ग्राम पंचायतों को अग्रेषित करना।			पुलिस, भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय व्यक्ति को प्रथम प्राथमिकता देते हुये सुरक्षा –रखरखाव का कार्य उक्तानुसार निर्धारित प्राथमिकतानुसार चयन कर चयनित व्यक्ति/संस्था से नियमानुसार पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस हेतु MOU सम्पादित कराना। तदउपरान्त चयनित व्यक्ति/संस्था का नाम संबंधित पंचायत को दिनांक 24.12.12 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कर दी जावे।
3.	पंचायत समिति द्वारा चयनित कर उपलब्ध कराये गये व्यक्ति/संस्था का ग्राम पंचायत की पाक्षिक /विशेष बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना।	28.12.12	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति /संस्था से ग्राम पंचायत के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सुरक्षा- रखरखाव की कार्य सेवाएं ली जावे।

यह कार्यवाही उक्तानुसार समयबद्ध रूप से सम्पादित कराकर 1 जनवरी 2013 से आवश्यक रूप से सभी ग्राम पंचायतो में सुरक्षा–रखरखाव के कार्य के लिए जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सेवाएं लिया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– प्रस्ताव (offer) का परिपत्र मय सेवा शर्त
व विज्ञप्ति का प्रारूप

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवंपं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवंपं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
9. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला परिषद,

क्रमांक   जयपुर दिनांक –

:: अभिरूचि की अभिव्यक्ति ::

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में पंचायती राज योजनाओं की परिसम्मत्ति एवं सुरक्षा तथा रखरखाव हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पूर्णकालीन सुरक्षा–रखरखाव कार्य करवाने हेतु पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर निर्धारित पारिश्रमिक 3822 रूपये प्रतिमाह पर सुरक्षा कार्य कराये जाने हेतु निम्नलिखित से प्रस्ताव (offer) आमंत्रित किये जाते हैः–

1.) 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर (अधिकतम 60 वर्ष तक)
2.) भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
3.) राज्य/केन्द्रिय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों के सेवा निवृत व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
4.) रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेन्सी से (अधिकतम 65 वर्ष तक)

सेवा निवृत व्यक्ति 65 वर्ष तक की आयु सीमा तक एवं ग्राम पंचायतों में दिनांक 1 अगस्त 1998 को कार्यरत चुंगी अधिशेष /अशंकालीन सफाई कार्मिक 60 वर्ष की आयु सीमा तक कार्यरत रहेगे। इसके पश्चात स्वतः ही सेवा से पृथक माने जावेगे।

उक्त संबंध में पात्रता एवं सुरक्षा–रखरखाव का कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर करवाने का विवरण विभागीय वेबसाईट (www.rajpanchayat.gov.in) से/जिला परिषद/पंचायत समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव (offer) निर्धारित प्रपत्र में जिस पंचायत के लिये आवेदन किया गया है उस से संबंधित पंचायत समिति कार्यालय को दिनांक 21.12.12 को सांय 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिये जावे इसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावों (offer) पर कोई विचार नही किया जावेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर करने हेतु आवेदन पत्र

विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक

1. सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति / संस्था का नाम
2. पिता का नाम /संस्था का रजिस्टेशन का विवरण
3. राष्ट्रीयता
4. स्थाई पता
   ग्राम
   ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
   जिला, राज्य
5. वर्तमान पता
   ग्राम
   ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
   जिला, राज्य
6. निकटतम पुलिस स्टेशन
7. सुरक्षा– रखरखाव कार्य करने वाले की जन्म तिथि (अंको/शब्दों मे)
8. सुरक्षा– रखरखाव कार्य करने वाले की दिनांक (01.01.2013)को आयु
9. सुरक्षा– रखरखाव कार्य करने वाले का शैक्षणिक योग्यता /अन्य विवरण
10. सुरक्षा– रखरखाव कार्य करने वाले केवल सेवा निवृत व्यक्ति के लिए
    अ विभाग/राजकीय उपक्रम आदि का नाम व पदनाम जहां कार्यरत थे
    ब सेवा निवृति का दिनांक
    स स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
11. केवल चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कर्मियों के लिये
    अ दिनांक 1 अगस्त 2008 की सूची में अंकित होने का विवरण मय पंचायत समिति का प्रमाण–पत्र
12. सुरक्षा– रखरखाव कार्य करने वाले का पहचान पत्र क्रमांक /विवरण
13. ग्राम पंचायत का नाम जहां के लिए आवेदन किया गया
14. पंचायत समिति/जिला परिषद

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर कराये जाने वाले सुरक्षा–रखरखाव का कार्य का विवरण व संलग्न शर्तो से मैं/हम पूर्णतः सहमत है तथा मैं/हम उनका पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहेगे। मेरे अनुभव एवं योग्यता संबंधी दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न है।

मेरे/हमारे द्वारा दी गई उक्त जानकारी का विवरण पूर्णतः सत्य है अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

दिनांक :– हस्ताक्षर प्रस्ताव कर्ता

सुरक्षा–रखरखाव कार्य कराने हेतु शर्तों का विवरण :–

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण करवाया गया है। ग्राम पंचायतों में दिनांक 1.8.1998 को अधिशेष चुंगी कार्मिक एवं अंशकालीन सफाई कार्मिकों के माध्यम से भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, राज्य/केन्द्रीय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य राजकीय उपक्रमों से सेवानिवृत्त कार्मिक के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र की सुरक्षा–रखरखाव का कार्य कराये जाने हेतु निम्न शर्ते होगी :–

1. पात्रता –
   (अ) 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष व अशंकालीन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर (अधिकतम 60 वर्ष तक)
   (ब) भारतीय सेना, पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
   (स) राज्य/केन्द्रीय राजकीय सेवा, राष्ट्रीयकृत बैंक, राजकीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों से सेवानिवृत्त व्यक्ति (अधिकतम 65 वर्ष तक)
   (द) भारतीय सेना,पैरा मिल्ट्री ऑरगनाईजेशन, सुरक्षा बल आदि से सेवा निवृत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी। (अधिकतम 65 वर्ष तक)
   (य) ग्राम पंचायत भवन के पास स्थानीय निवासरत व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।
   (र) सामान्य दृष्टि (चश्मा/बिना चश्में के) व बिना सहायता के चलने–फिरने, बोलने–सुनने की क्षमता वाले कार्मिक सुरक्षा कार्य के लिए पात्र होंगे। रोग ग्रस्त, मानसिक बीमारी से ग्रसित, रात्रि अंधता (Night Blindness), दुर्व्यसन आदि से लिप्त सेवा निवृत्त कार्मिक इस व्यवस्था के लिए पात्र नहीं होंगे।
2. **अधिकतम आयु सीमा**–इस कार्य हेतु सेवा निवृत कार्मिक 65 वर्ष की आयु सीमा तक एवं 1 अगस्त, 1998 को ग्राम पंचायतों में कार्यरत चुंगी अधिशेष अधिशेष/अंशकालिन सफाई कार्य कर रहे व्यक्ति 60 वर्ष की आयु सीमा तक कार्यरत रहेगे। उक्त अवधि के पश्चात स्वतः ही सेवा से पृथक हो जायेगे।
3. **मानदेय/पारिश्रमिक एवं बजट मद**– सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को सेवा केन्द्र की सफाई एवं सुरक्षा का कार्य करने व अन्य शर्ते अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण करने पर नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (अधिकतम) एक मुश्त राशि रू. 3822/– (अक्षरे तीन हजार आठ सौ बाईस रूपये मात्र) का भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दिया जावेगा।
4. **सुरक्षा व रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण**–
   I. राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में उपलब्ध सोलर संयंत्र, कम्प्यूटर्स, फर्नीचर एवं रिकॉर्ड आदि की सुरक्षा एवं सफाई कार्य।
   II. परिसर में सेवा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य भवन स्थित होने की स्थिति में इन भवनों की सफाई एवं सुरक्षा का कार्य।
   III. सेवा केन्द्र के खुले रहने के समय को छोड़कर शेष समय में सेवा केन्द्र की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी।

IV. सेवा केन्द्र परिसर में वृक्ष/पौधों की सुरक्षा का कार्य व आवश्यकतानुसार सफाई एवं सिंचाई करने का कार्य।

V. सोलर संयंत्र से किसी प्रकार की विद्युत का उपयोग व छेड़खानी नहीं की जावेगी।

VI. उसके द्वारा परिसर में किसी प्रकार अनैतिक कार्य नहीं किया जावेगा, जिससे कार्यालय परिसर की गरिमा भंग नहीं हो

VII. सुरक्षा–रखरखाव कार्य करने हेतु उत्तरदायी आवेदित /चिन्हित व्यक्ति/संस्था की ऐवजी में अन्य के द्वारा सुरक्षा–रखरखाव का कार्य कराना स्वीकार्य नहीं होगा।

VIII. सुरक्षा–रखरखाव कार्य करने हेतु उत्तरदायी आवेदित /चिन्हित व्यक्ति किसी कार्यवश सेवा केन्द्र से बाहर जाता है तो सम्बन्धित कार्यालय की लिखित अनुमति तथा अन्य व्यवस्था उपरान्त ही सेवा केन्द्र से जा सकेगा।

5. **सुरक्षा के दौरान नुकसान होने की स्थिति में–**

I. सेवा केन्द्र की सुरक्षा–रखरखाव का कार्य के दौरान यदि कोई आकस्मिक क्षति/दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित सरपंच, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को देनी होगी।

II. यदि वह सूचना नहीं देता है तो इसमें उसकी लिप्तता मानते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी एवं उसको उक्त सुरक्षा–रखरखाव का कार्य हेतु देय एक मुश्त पारिश्रमिक क़ा भुगतान नहीं किया जावेगा।

6. **सुरक्षा प्रमाणीकरण, सुरक्षा–रखरखाव का कार्य हेतु देय एक मुश्त पारिश्रमिक एवं कार्य से हटाया जाना –**

(अ) माह के दौरान उक्त निर्देशों के अनुसार सुरक्षा–रखरखाव का निर्धारित कार्य पूर्ण करने एवं किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, की सन्तुष्टि करने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा देय एक मुश्त पारिश्रमिक मासिक का भुगतान हेतु प्रमाणीकरण किया जाकर निर्धारित देय एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 5 दिवस में अर्थात् माह की 5 तारीख तक अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से किया जावेगा।

(ब) सुरक्षा–रखरखाव का कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के द्वारा सुरक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर उसे हटाने हेतु ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में निर्णय लेकर उसे पंचायत समिति द्वारा हटा दिया जायेगा।

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ कि उक्त विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न उक्तानुसार जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर सुरक्षा–रखरखाव का कार्य निर्देशानुसार कराने/करने को सहमत हूॅ तथा सुरक्षा–रखरखाव का कार्य के विवरण व शर्तो को मेने /हमने पढ सुन लिया है इनकी अक्षशः मैं/हम पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहेगे।

दिनांक :–

प्रस्तावक के हस्ताक्षर